उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभागा

संख्या-07/2016/631/छ-ना0सु0-16-3प्रकीर्ण/16

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

शासनादेश संख्या-01/2016/01/चौंतीस-लो0शि0-5/2016 दिनांक 16-01-2016 के अनुक्रम में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0)-जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-290/छ:ना0सु0/16-3 प्रकीर्ण/2016 दिनांक 03 मई, 2016 द्वारा श्री जी0पी0 कमल, संयुक्त सचिव, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों के लिये नोडल अधिकारी नामित किया गया था। श्री जी0पी0 कमल, संयुक्त सचिव (अद्यतन विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नत) का नागरिक सुरक्षा विभाग से स्थानान्तरण हो गया है।

अत: समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0 आर0एस0)-जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्री जी0पी0 कमल, संयुक्त सचिव, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थान पर नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों के लिये श्री केशव प्रसाद, अनु सचिव,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नागरिक सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उक्त नामित अधिकारी के सम्बन्ध में सूचना/विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	पदाधिकारी का नाम	दूरभाष/मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आई0डी0
अनुसचिव	श्री केशव प्रसाद	सी0यू0जी0-9454411389 ई-मेल-keshavprasadsaroj @gmail.com

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग।
2- निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (श्री अमित गुप्ता)।
3- श्री केशव प्रसाद, अनु सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग।
4- लोकशिकायत अनुभाग-5
5- गार्ड फाइल/ इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(मनोज मिश्र)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।